कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840
ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–230/1156 रायपुर, दिनांक 13/05/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– **Diversion of Forest land for non-purpose under Forest Conservation act,1980 Proposed for Chhotedongar Iron Ore Mine M/s Bajrang Power & Ispat Ltd. have been granted with Mining lease for Iron over an Area - 66.20 ha-regarding..**

संदर्भः–
1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–18/ 2020/ 10–2 दिनांक 16.04.2024
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्र./त.अ./न.क्र.150/2024/1313 दिनांक 30.04.2024
3. कार्यालयीन पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–230/1105 दिनांक 02.05.2024

–00–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भ पत्र–1 के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा दी गई अनुशंसा भाग–4 के बिन्दु कमांक (iv) में निम्नानुसार शर्त अधिरोपित की गयी थीः– **"वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार की जाये जिसके प्रावधानों का क्रियान्वयन आवेदक संस्थान के व्यय पर किया जाए"**

प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) द्वारा अनुमोदित वन्य प्राणी संरक्षण योजना के दृष्टिगत उक्त शर्त को पूर्ववत रखा जाये अथवा इसमें संशोधन आवश्यक है? के संबंध में संदर्भ पत्र–1 के माध्यम से लेख किया गया है। उक्त के अनुक्रम में संदर्भ पत्र–2 (छायाप्रति संलग्न) से मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में **"अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना के दृष्टिगत उक्त शर्त को पूर्ववत रखने तथा इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नही है"**, के संबंध में इस कार्यालय को अभिमत प्राप्त हुआ है।

उक्त के अनुकम में संदर्भित पत्र–3 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के उक्त अभिमत से सहमत होते हुए अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना के दृष्टिगत रखते भाग–4 के बिन्दु क्रमांक (iv) में अधिरोपित शर्त को विलोपित किये जाने की अनुशंसा सहित आपकी ओर प्रेषित की गई थी, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना के दृष्टिगत रखते भाग–4 के बिन्दु क्रमांक (iv) को पुनरीक्षित करते हुए **"वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु उपयुक्त वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार की जाए जिसके प्रावधानों का क्रियान्वयन आवेदक संस्थान के व्यय पर किया जाए"** शर्त रखा जाना प्रस्तावित है तथा इसी बिन्दु में उल्लेखित वन्यप्राणी हाथी प्रबंधन को विलोपित किये जाने की अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। तदानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित),

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध/ व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

-158- Letter Minig 2024

पृ. क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–230/1157 रायपुर, दिनांक 13/05/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, नारायणपुर वन मंडल, नारायणपुर, छत्तीसगढ़।
3. **मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड**, ग्राम बोरझारा, उरला गुमा रोड, रायपुर, छ.ग.।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध/ व.सं.अ)
छत्तीसगढ़